कार्यालय अधिष्ठाता, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक 9114 / स्था.अराज / 2021 ग्वालियर दिनांक 19/02/2021

/ / संशोधित विज्ञप्ति सूचना / /

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2–20 / 2020 / 1 / 55, भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पृष्ठाकंन क्रमांक 1554–63 / स्था. / अराज / 2020, भोपाल दिनांक 19.11.2020 के परिपालन **में शासकीय / स्वशासी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अन्तर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल एवं गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर एवं संबंद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के स्टाफ नर्स के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रदेश के शासकीय नर्सिंग स्कूल / शासकीय / स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों** से निर्धारित शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

01. **(अ) सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल का नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर के अनुसार वर्गीकरण :–**

क्र.	पदनाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	आरक्षण अनुसार वर्गीकरण					वेतनमान लेवल	न्यूनतम अर्हता
			अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति (20 %)	अनुसूचित जाति (16 %)	अन्य पिछड़ा वर्ग (27 %)	आर्थिक रूप से कमजोर (10 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10
1	स्टॉफ नर्स (केवल महिला)	120	28 (02 PD, 03 SN) कुल=33	21 (01 PD, 02 SN) कुल=24	16 (01 PD, 02 SN) कुल=19	27 (02 PD, 03 SN) कुल=32	10 (01 PD, 01 SN) कुल=12	लेबल 07 (28700–91300)	01. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 02. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 03. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौसिल में पंजीकृत परिचारिका।
2	स्टॉफ नर्स (संविदा 20%) (केवल महिला)	30	07 (01 SN) कुल=08	05 (01 SN) कुल=06	04 (01 SN) कुल=05	07 (01 SN) कुल=08	03		
	कुल योग	**150**	**41**	**30**	**24**	**40**	**15**		

(ब) **गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर एवं संबंद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में स्टाफ नर्स के कुल स्वीकृत पदों पर नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर लगाने के उपरांत, पूर्व में कार्यरत स्टाफ नर्सो का समायोजन उपरांत, श्रेणी अनुसार रिक्त पदों का वर्गीकरण :–**

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	आरक्षण अनुसार वर्गीकरण					वेतनमान लेवल	न्यूनतम अर्हता
			अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति (20 %)	अनुसूचित जाति (16 %)	अन्य पिछड़ा वर्ग (27 %)	आर्थिक रूप से कमजोर (10 %)		
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10
1	स्टॉफ नर्स (केवल महिला)	157	00	54 (07 PD, 12 SN) कुल=73	00 (02 PD, 02 SN) कुल=04	42 (10 PD, 16 SN) कुल=68	09 (01 PD, 02 SN) कुल=12	लेबल 07 (28700–91300)	01. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 02. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 03. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौसिल में पंजीकृत परिचारिका।
2	स्टॉफ नर्स (संविदा 20%) (केवल महिला)	47	00	17 (01 PD, 02 SN) कुल=20	03	17 (01 PD, 02 SN) कुल=20	04		
	कुल योग	**204**	**00**	**93**	**07**	**88**	**16**		

सीधी भर्ती के 20 प्रतिशत नियमित पदों को संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये आरक्षित है। **SN** को भूतपूर्व सैनिक एवं **PD** को दिव्यांग के रूप में दर्शाया गया है। उपरोक्त (अ) एवं (ब) के रिक्त स्टाफ नर्सो के पदों पर आवेदन करने हेतु प्राथमिकता दर्ज कराया जाना अनिवार्य है। अर्थात आवेदक एक अथवा दोनों में आवेदन हेतु स्वत्रंत होगा। प्राथमिकता के आधार पर मेरिट सूची (अ) एवं (ब) की पृथक–पृथक तैयार की जावेगी।

02.. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-

01. स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिये निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/-(दस हजार रूपये) पर की जावेगी। 03 माह पश्चात् कार्यरत स्टाफ नर्सो की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

03.. आरक्षण :-

01. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
02. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होगें।
03. आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
04. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक(पार्ट), भोपाल दिनांक 03 जुलाई 2018 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में 06 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में दिव्यांग हेतु 06 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गये है।
05. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यार्थियों को निःशक्ता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
06. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2012 द्वारा **भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के संबंध** सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.04.1999 द्वारा संशोधित करते हुये किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों में **10 प्रतिशत** एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों में **20 प्रतिशत** "होरिजेण्टल" (प्रवर्गवार) आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिक हेतु तृतीय श्रेणी में **10 प्रतिशत** एवं चतुर्थ श्रेणी **20 प्रतिशत** के अनुसार कुल रिक्तियों पर पद आरक्षित रखे गये है।
07. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई, 2019 में **आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों** के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जारी विज्ञप्ति में किया गया है।
08. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-22/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 30 मई 2019 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) के लिए किए गए विशेष प्रावधान के पालन में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
09. उपरोक्त पदों में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के नियम 1 के उपनियम 1.4 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 25 जुलाई 2018 के नियम 2 में दिये निर्देशों के अनुक्रम में **20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षित किये गये है।**
10. संविदा के लिए आरक्षित पदों का लाभ तभी दिया जावेगा **"आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो, 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।"**
11. संविदा हेतु आरक्षित पदों पर आवेदन करने से पूर्व आवेदक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 05 जून 2018 का पूर्ण अवलोकन उपरांत ही यदि आवेदक अर्हता रखते है तो ही संविदा हेतु आरक्षित पदों पर लाभ प्रदाय किया जावेगा। यदि अर्हता नहीं रखते है तो बिना सूचना के आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा।